<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 922/2025

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

01- मोहनलाल पुत्र गुलाबचंद,

02- राजूबाई पत्नी मोहनलाल, निवासीगण-थनावद, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

अभियुक्तगण....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री रामविलास रावल, श्री भागचंद मीना विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 07-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10-09-2025 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19-08-2025 को फरियादी/मजरूब रामस्वरूप ने जैर ईलाज सीएचसी अकलेरा में एक पर्चा बयान इस आशय का दर्ज कराया कि वह थनावद ग्राम का रहने वाला है तथा खेत कुए पर उसका परिवार रहता है। उसकी बिजली की ट्रांसफार्मर को दो साल पहले बिजली विभग द्वारा हटा दी गई थी जिसके बाद से उसने उसके रिश्ते के काका मोहनलाल मीणा पुत्र गुलाबचंद मीणा, उम्र करीब 65 साल, निवासी थनावद का उसके पड़ोस में खेत है तथा कुछ दूरी पर स्वयं का मकान है जिसने मकान के पास बिजली विभाग से डी.पी (ट्रांसफार्मर) लगाया हुआ था तथा उसके घर का बिजली का कनेक्शन उनकी डी.पी से कर दिया था जिस बात को लेकर मोहनलाल मीणा व उनकी पत्नी राजीबाई गालियां निकालती थी, की उनकी डी.पी से लाईट ले रखी है तथा उसका रास्ता भी उसके घर के बाहर से आता जाता है। जब वह वहां से निकलता, गालियां निकालते हैं। दिनांक 19.08.2025 को समय 7.30 बजे शाम की बात की उसकी पत्नी मांगीबाई से राजीबाई इसी बात को कहासुनी कर रही थी। खेत के कुए के पास की बात है। वह लड़ने की बात सुनकर पैदल ही वहां पहुंचा तो मोहनलाल व उनकी पत्नी दोनों के हाथों में नंगी तलवारें थी जो उसे देखकर मसकने लगे। उसने मोहनलाल के हाथ की तलवार को पकड़ना चाहा तो मोहनलाल की तलवार पकड़ने के दौराने उसने नहीं छोड़ी तथा तलवार की उसके बांये पैर की पिंडली में चोटें आई तब पता चला कि मोहनलाल के हाथ की तलवार से

उसके चोटें आई थी जिससे उसके खून निकल आया। घटना देखने वाले राधेश्याम मीण थे तथा और भी लोग आ गए थे। उसे घायल हालत में कालूलाल मीणा उसका छोटा भाई अस्पताल लेकर आया तथा राजीबाई ने उसकी पत्नी के दांतों से हाथ पर काटा तथा सीने पर मुक्कों से मारपीट की थी।, इत्यादि।

03- उपरोक्त पर्चा बयान पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 453/2025, अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 352, 3(5) भा.न्या.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्तगण को धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 जानकीलाल, पी.डब्ल्यू. 02 रामस्वरूप, पी.डब्ल्यू. 03 मांगीबाई, पी.डब्ल्यू. 04 कालूलाल, पी.डब्ल्यू. 05 राधेश्याम, पी.डब्ल्यू. 06 डॉ. सत्यनारायण को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 18 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है तथा घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी नहीं बनाया गया है एवं सभी गवाहान परिवार जन होकर हितबद्ध गवाहान है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 19-08-2025 को समय शाम करीब साढ़े 5 बजे के लगभग मौजा थनावद, अकलेरा में सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामस्वरूप को आड़े फिरकर सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ स्वेच्छया कुन्द व धारदार हथियार से मारपीट कर उसके शरीर पर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित कर फरियादी को फोश गालियां देकर साशय अपमानित कर लोक शांति भंग करने को प्रकोपित किया व दौराने अनुसंधान तलवार व अन्य धारदार हथियार बरामद किए जिसे स्वयं के कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हां तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान प्रदर्श पी. 01 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि वह थनावद ग्राम का रहने वाला है तथा खेत कुए पर उसका परिवार रहता है। उसकी बिजली की ट्रांसफार्मर को दो साल पहले बिजली विभग द्वारा हटा दी गई थी जिसके बाद से उसने उसके रिश्ते के काका मोहनलाल मीणा पुत्र गुलाबचंद मीणा, उम्र करीब 65 साल, निवासी थनावद का उसके पड़ोस में खेत है तथा कुछ दूरी पर स्वयं का मकान है जिसने मकान के पास बिजली विभाग से डी.पी (ट्रांसफार्मर) लगाया हुआ था तथा उसके घर का बिजली का कनेक्शन उनकी डी.पी से कर दिया था जिस बात को लेकर मोहनलाल मीणा व उनकी पत्नी राजीबाई गालियां निकालती थी, की उनकी डी.पी से लाईट ले रखी है तथा उसका रास्ता भी उसके घर के बाहर से आता जाता है। जब वह वहां से निकलता, गालियां निकालते हैं। दिनांक 19.08.2025 को समय 7.30 बजे शाम की बात की उसकी पत्नी मांगीबाई से राजीबाई इसी बात को कहासुनी कर रही थी। खेत के कुए के पास की बात है। वह लड़ने की बात सुनकर पैदल ही वहां पहुंचा तो मोहनलाल व उनकी पत्नी दोनों के हाथों में नंगी तलवारें थी जो उसे देखकर मसकने लगे। उसने मोहनलाल के हाथ की तलवार को पकड़ना चाहा तो मोहनलाल की तलवार पकड़ने के दौराने उसने नहीं छोड़ी तथा तलवार की उसके बांये पैर की पिंडली में चोटें आई तब पता चला कि मोहनलाल के हाथ की तलवार से उसके चोटें आई थी जिससे उसके खून निकल आया। घटना देखने वाले राधेश्याम मीण थे तथा और भी लोग आ गए थे। उसे घायल हालत में कालूलाल मीणा उसका छोटा भाई अस्पताल लेकर आया तथा राजीबाई ने उसकी पत्नी के दांतों से हाथ पर काटा तथा सीने पर मुक्कों से मारपीट की थी।, इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनमें सर्वप्रथम गवाह प्रकरण का फरियादी/मजरूब

रामस्वरूप न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 02 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान प्रदर्श पी. 01 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसकी पत्नी व राजीबाई आपस में गाली गलौच कर रही थी जो कि लाईट की डीपी को लेकर कर रही थी। लाईट की डीपी मुल्जिम मोहनलाल की थी। उसका बिल भी मोहनलाल जमा करते थे। दोनों मुल्जिमान के हाथों में तलवारें थी। उसके जाते ही मुल्जिम ने तलवार की धर दी। उनके पहले से रंजिश चली आ रही थी। मोहनलाल व वह आपस में खींचम तान हो गए थे जिससे उसके शरीर में चोटें आई थी।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मांगीबाई है जो कि फरियादी की पत्नी है। उक्त गवाह ने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि पहले उसके व राजीबाई के झगड़ा व कहासुनी हो गई थी। वह और राजीबाई भातम भूता हो गए थे। मौके पर घटनास्थल पर आसपास पत्थर का खुरंजा हो रहा था। उसके शरीर पर दस बीस चोटें आ गई थी। चोटें उसने डॉ. को बता दी थी।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 कालूलाल है जो कि फरियादी का भाई है जिसने अपने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब वह मौके पर नहीं था, थोडी दूरी पर था, वह चिल्ला चोट की आवाज सुनकर दौड़कर आया था। मुल्जिमान व उसके भाई के बीच डीपी का विवाद चल रहा है। तलवार को मौके से उसका भाई मुल्जिमान से छुड़ाकर लाया था जिसे उसके भाई ने थाने में जमा करवा दी थी।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 05 राधेश्याम है जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 का गवाह है। गवाह पी.डब्ल्यू. 06 डॉ. सत्यनारायण है जिसके थाना थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर मजरूब रामस्वरूप के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उक्त चोटें नुकीली सतह पर गिरने से आई हो तो इंकार नहीं किया जा सकता। गवाह पी.डब्ल्यू. 01 जानकीलाल है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि फरियादी व मुल्जिमान के बीच में मुल्जिम के मकान के सामने लाईट की डीपी रखी हुई थी उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था।

16- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सभी गवाहान की साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना के फरियादी एवं अन्य चश्मदीद साक्षीगण द्वारा उनके साथ घटित घटना की ताईद की है एवं जो चोटें मुल्जिमान ने फरियादी पक्ष के कारित की है उनकी ताईद प्रकरण के चिकित्सा अधिकारी ने अपने न्यायालय बयान में भलीभांति की है।

17- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 19-08-2025 को समय शाम करीब साढ़े 5 बजे के लगभग मौजा थनावद, अकलेरा में सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामस्वरूप को आड़े

फिरकर सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ स्वेच्छया कुन्द व धारदार हथियार से मारपीट कर उसके शरीर पर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित कर फरियादी को फोश गालियां देकर साशय अपमानित कर लोक शांति भंग करने को प्रकोपित किया व दौराने अनुसंधान तलवार व अन्य धारदार हथियार बरामद किए जिसे स्वयं के कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। अतः अभियुक्तगण धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

18- अतः अभियुक्तगण 01- मोहनलाल पुत्र गुलाबचंद, 02- राजूबाई पत्नी मोहनलाल, निवासीगण-थनावद, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

19- दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

20- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण प्रकरण में लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाए। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

21- सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण को ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति बताया गया हैं। अभियुक्तगण प्रकरण में सन् 2025 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। पत्रावली पर अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है, अतः अभियुक्तगण का प्रथम अपराध ही माना जाएगा। मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्तगण द्वारा भोगी गई अन्वीक्षा की अवधि को मध्य नज़र रखते हुए अभियुक्तगण को तत्काल कारावास से दण्डित करने के स्थान पर परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

22- अतः अभियुक्तगण 01- मोहनलाल पुत्र गुलाबचंद, 02- राजूबाई पत्नी मोहनलाल, निवासीगण-थनावद, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को धारा 115(2), 126(2), 352, 118(1), 3(5) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत् 10,000-10,000/- रूपए की एक-एक जमानतें व इसी कदर राशि के स्वयं के मुचलके छः माह की अवधि के लिए न्यायालय के समक्ष इस आशय के पेश कर तस्दीक करा दे कि वे उक्त अवधि में शांति एवं सदाचार बनाए रखेगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा भुगतने हेतु

उपस्थित होगे, तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाए। साथ ही अभियुक्तगण प्रत्येक को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत् 100-100/- रूपए (अक्षरे एक सौ-एक सौ रूपए मात्र), इस प्रकार कुल 200/- रूपए (अक्षरे दो सौ रूपए मात्र) बतौर अभियोजन व्यय ऑन लाईन राजकोष में जमा करवाकर रसीद न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया जाता है। न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत अभियुक्तगण के पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

23- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- रूपए की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

24- निर्णय आज दिनांक 07-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.02.09 10:43:37 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।